

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 154/25

तारीख 12/6/25

श्री भंवरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
.....प्रार्थी

बनाम

01. लालीदेवी पत्नि बाबुलाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. बाबुलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. संजीव पुत्र घनश्याम जाति जैन उम्र वयस्क निवासी जयपुर जिला जयपुर (राज.)
04. शिवप्रकाश पुत्र रामनिवास जाति झंवर उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. पाना पुत्र लाखा जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोचा का झुपड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
06. श्रीमान् तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 16/7/25

प्रार्थना पत्र श्री भंवरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 781 पर अंकित आराजी संख्या 1501/7 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 300/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।
Jyoti Lal

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 781 पर अंकित आराजी संख्या 1501/7 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 154/25

तारीख 12/1/25

प्रेषिति :-

फाइल :- 1617/25

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या/ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत।

श्री भंवरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. लालीदेवी पत्नि बाबुलाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. बाबुलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. संजीव पुत्र घनश्याम जाति जैन उम्र वयस्क निवासी जयपुर जिला जयपुर (राज.)
04. शिवप्रकाश पुत्र रामनिवास जाति झंवर उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. पाना पुत्र लाखा जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोचा का झुपड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
06. श्रीमान् तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा घनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 781 पर अंकित आराजी संख्या 1501/7 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ३००/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ